राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति : प्रधान एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ

2010-11

आलेख : डॉ. अनिता, प्रोफेसर एवं समन्वयक
पंचायती राज प्रशिक्षण

सृजन एवं प्रकाशन
इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान), जयपुर

राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति : प्रधान एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ

2010–11

आलेख : डॉ. अनिता, प्रोफेसर एवं समन्वयक,
पंचायती राज प्रशिक्षण

सृजन एवं प्रकाशन

इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान , जयपुर

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इन संस्थाओं के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के स्वाध्याय के लिये लघु पुस्तिकाओं की श्रृंखला तैयार की गई है।

प्रदेश में सुशासन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए इन संस्थाओं के सभी स्तरों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अपनी भूमिका एवं दायित्वों के प्रति सजग और संवेदनशील होने से ही पंचायती राज संस्थाओं में सुदृढ़ स्थानीय शासन का सपना साकार हो सकेगा।

आशा है संस्थान द्वारा तैयार की गई पुस्तकें पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को संवैधानिक दायित्वों के प्रति और अधिक जागरूक बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन स्थापित करने की दिशा में सक्रिय सहभागी बनाने में सहायक होंगी।

मैं संस्थान को इस प्रयास के लिए बधाई देते हुए इनके प्रकाशन की सफलता के लिये अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(अशोक गहलोत)

सत्यमेव जयते

मंत्री
ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज
राजस्थान सरकार

संदेश

मुझे हर्ष है कि इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर द्वारा–पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को स्वाध्याय पुस्तिकाओं के ज़रिये, अपने संवैधानिक दायित्वों व शक्तियों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से, जिला प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्यों, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों के उपयोग हेतु–चार लघु पुस्तिकाओं का सृजन किया गया है।

पंचायती राज की सुचारू व्यवस्था जनहित में तभी गतिमान होगी, जब पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका की स्पष्ट समझ बनाकर, एक सजग लोक प्रहरी के रूप में कार्य करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, स्वाध्याय के ज़रिये इन पुस्तिकाओं से लाभान्वित होंगे और जनहित–केन्द्रित निर्णय प्रक्रिया अपनाकर, वार्डसभा/ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह शासन की भूमिका, पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण के आधार पर सक्रियता से लागू करने में कामयाब हो सकेंगे।

¼भरत सिंह½

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004

आमुख

इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं विकास कर्मियों हेतु वर्ष 2000 से निरन्तर–एक सुनियोजित विकेन्द्रित क्षमता विकास अभियान का संचालन किया जा रहा है।

अब तक कुल छः दौर पंचायती राज क्षमता विकास के ध्येय को समर्पित विकेन्द्रित प्रशिक्षण अभियानों के सम्पादित किये जा चुके हैं। पहला दौर वर्ष 2002 में–राज्य की सभी महिला सरपंचों एवं पंचों हेतु, दूसरा दौर वर्ष 2003 में–राज्य के सभी सरपंच एवं ग्राम सेवकों तथा वार्डपंचों हेतु, तीसरा दौर वर्ष 2005 में–राज्य के समस्त 1.25 लाख जनप्रतिनिधियों एवं विकासकर्मियों के संयुक्त बुनियादी आमुखीकरण हेतु, चौथा दौर वर्ष 2007 में–बीआरजीएफ योजना अन्तर्गत शामिल–प्रदेश के बारह जिलों के समस्त पंचायती राज जनप्रतिनिधियों हेतु, पांचवाँ दौर वर्ष 2008 में–राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला जनप्रतिनिधिगण को अपने दायित्वों व शक्तियों के अभिनवन हेतु तथा छठा दौर वर्ष 2009 में–राज्य के समस्त जनप्रतिनिधिगण को प्रमुख सरोकारों यथा–राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ¼बीआरजीएफ½,सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण एवं पंचायती राज संस्थाओं में स्थाई समितियों की भूमिका पर आयोजित अभिनवन प्रशिक्षण अभियान के रूप में, सफलतापूर्वक सम्पन्न किये जा चुके हैं।

क्षमता निर्माण के प्रयासों की निरन्तरता में, जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुभूत आवश्यकतानुसार उन्हें वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत उपलब्ध–शक्तियों, दायित्वों एवं अधिकारों का स्व–बोध कराने एवं अपनी संस्था से जुड़े कार्य दायित्वों की स्पष्ट समझ बनाने के लिए, सहज स्वाध्याय हेतु वर्तमान लघु पुस्तिकाओं का सृजन संस्थान द्वारा किया गया है।

इस लघु पुस्तिका श्रृंखला के तहत चार पुस्तिकाएँ निम्नानुसार बनाई गई हैं–

1. **ज़िला परिषद् स्तर हेतु–**
   ज़िला प्रमुख एवं सदस्यगण के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ,
2. **पंचायत समिति स्तर हेतु–**
   प्रधान एवं सदस्यगण के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ,

   ग्राम पंचायत स्तर हेतु–
3. सरपंच के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ एवं
4. ग्राम पंचायत, वॉर्ड सभा/ग्राम सभा तथा वार्ड पंच के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ

   उक्त पुस्तिकाएँ जनप्रतिनिधिगण को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 व समय–समय पर जारी राज्यादेशों के संदर्भ में, उल्लेखित उनके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों से अद्यतन कराने हेतु सृजित की गई हैं।

इन पुस्तिकाओं के स्वाध्याय से अवश्य ही सभी पंचायती राज जनप्रतिनिधिगण अपनी भूमिका की सही समझ बनाकर, जनहित में, और प्रभावी एवं संवेदनशील सुशासन ग्रामीण क्षेत्रों में देने को तत्पर बनेंगे, यह हमारा विश्वास है।

¼गिरी राज सिंह½
महानिदेशक

वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था–एक परिचय

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के गज़ट में प्रकाशन पश्चात्, 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ। ग्रामीण विकास में सक्रिय जनभागीदारी व स्थानीय समस्याओं के समुदाय द्वारा स्थानीय स्तर पर ही समाधान के उद्देश्य से पंचायतों को स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था के रूप में संवैधानिक दर्ज़ा दिया गया है।

संविधान में भाग–IX के रूप में पंचायत संबंधी अध्याय जोड़ा गया है। **संविधान के अनुच्छेद–243(डी) में 'पंचायत' को परिभाषित करते हुए, उसे ग्रामीण अंचल की स्व–शासन की संस्था के रूप में माना गया है।** (चाहे देश के विभिन्न प्रान्तों में उन्हें किसी भी नाम से संबोधित किया जाए)। **इसी संशोधन की धारा–243(जी) में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं दायित्वों को रेखांकित किया गया है।** संविधान की धाराओं के अनुसरण में, राज्य की विधायिका द्वारा कानूनन, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ व अधिकार सुपुर्द किये जा सकेंगे, जो कि उन्हें स्व–शासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनावें। सार–संक्षेप में पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका निम्न दो पहलुओं से जुड़ी है:

- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की आयोजना तैयार करना (प्लान बनाना) एवं
- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जो कि उन्हें सौंपी गई हों व जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषय भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।

पंचायती राज व्यवस्था सामूहिक निर्णय की अवधारणा पर आधारित है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय ग्रामीण समाज में, पंचायतों के प्रति ग्रामीण समुदाय की गहरी आस्था है। पंचों की सामूहिक राय से गांव के विकास हेतु निष्पक्ष निर्णय लिये जाने की परम्परा रही है। अनादिकाल से गांवों के छोटे–मोटे विवादों का न्यायपूर्ण निपटारा भी पंचायतों के द्वारा ही होता आया है–इसीलिए पंचों को 'पंच–परमेश्वर' के रूप में सम्मान से देखा जाता है। पंचायत की व्यवस्था का प्रभावी रूप से संचालन, पंचायतों के चुने हुए पंचों का ही सामूहिक उत्तरदायित्व है। पंचों की जनहित में दी गई राय से ही पंचायत सुचारू रूप से अपने दायित्व पूरे कर सकती है।

कानून में 'पंचायती राज' है, 'सरपंच राज, प्रधान राज एवं प्रमुख राज' नहीं। इसलिए सरपंच, प्रधान, ज़िला प्रमुख–पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था में अध्यक्ष होने के नाते, अपनी संस्था के सामूहिक निर्णय के अनुसार ही कार्रवाई कर सकते हैं। पंचायती राज की सशक्त व्यवस्था हेतु जब तक जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि–(पंच–सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान, ज़िला परिषद् सदस्य एवं ज़िला प्रमुख) सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, तब तक इस व्यवस्था की जड़ें मज़बूत नहीं होंगी।

विशेषतः पंचायत समिति स्तर पर प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों का यह संयुक्त दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समिति स्तर पर बनी सभी स्थाई समितियाँ एवं पंचायत स्तर पर बनी स्थाई समितियाँ भी पूरी तरह सक्रिय होकर–आवंटित विषयों एवं कार्यक्रमों की सतत् निगरानी करें तथा क्षेत्र में आ रहे क्रियान्वयन दोषों में सुधार के सुझाव साधारण सभा को दें।

पंचायत समिति को यह भी ध्यान देना होगा कि स्वयं पंचायत समिति स्तर पर एवं उसके अधीन सभी ग्राम–पंचायतों की वार्षिक विकास योजना समयबद्ध रूप से तैयार हों एवं उसे ज़िला परिषद् व राज्य स्तर पर, पूरे ब्लॉक स्तर की कार्य योजना के रूप में, सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना एवं पंचायत समिति स्तर की कार्य योजना को इकजाई करते हुए संप्रेषित किया जावे।

इसी प्रकार हर वर्ष पंचायत समिति एवं ग्राम–पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों को समाहित करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन भी समय से तैयार किया जाकर, साधारण सभा में रखा जावेगा। पंचायत समिति स्तर पर स्वयं अपनी निजी आय के साधन बढ़ाने एवं ग्राम पंचायतों को भी निजी आय के स्रोत जुटाने का मार्गदर्शन देने की पहल करनी होगी।

पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी हेतु एवं जनता के प्रति पूर्ण जवाबदेही व पारदर्शिता बरतने हेतु समिति स्तर पर गठित अभाव–अभियोग समिति (विजिलेन्स कमेटी) की भी नियमित बैठकें कर, प्राप्त अभाव–अभियोगों की जांच पड़ताल करा, प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

प्रधानः पंचायत समिति अध्यक्ष

प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये पंचायत समिति सदस्यों में से, सदस्यों के बहुमत से, पंचायत समिति–अध्यक्ष यानि प्रधान पद का चुनाव होता है।

प्रधान के दायित्व, कृत्य और शक्तियाँ

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–33 में प्रधान–(पंचायत समिति, अध्यक्ष) पद के **7 प्रमुख दायित्व** बताये गये हैं:

(1) **पंचायत समिति बैठकों का आयोजन**–बैठकें बुलाना, उनकी अध्यक्षता व संचालन करना। प्रधान यह भी सुनिश्चित करें कि पंचायत समिति स्तर पर गठित सभी स्थाई समितियों की बैठकें नियमित रूप से, त्रैमासिक आधार पर हों। प्रशासन एवं स्थापन समिति तथा सतर्कता समिति के अध्यक्ष तो स्वयं प्रधान ही हैं, अतः उनकी नियमित बैठकें बुलाना एवं लिये गये निर्णयों को अमल में लाना, उनकी प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी है।

(2) **अभिलेखों की निगरानी**–पंचायत समिति के सभी अभिलेखों व उनके नियमित व सुव्यवस्थित रख–रखाव का ध्यान रखना। प्रधानगण पृथक–पृथक नियंत्रण रजिस्टर भी–क्रमशः पंचायत समिति के अभिलेखों पर निगरानी हेतु एवं स्थाई समितियों, सतर्कता समिति एवं साधारण सभा की बैठकों में सर्वसम्मति से लिये गये प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु अपने स्तर पर संधारित करावें।

(3) **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, नियम 1996** व समय–समय पर जारी समस्त **राज्यादेशों द्वारा सौंपे गये सभी कर्त्तव्यों का पालन एवं शक्तियों का प्रयोग करना।**

(4) **प्रेरक एवं उत्साही नेतृत्व**–

- पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में प्रेरणा और उत्साह बढ़ाना,
- विकास योजनाओं व उत्पादक गतिविधियों के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन करना,
- स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी बढ़ाना।

(5) **पंचायत समिति एवं उसकी स्थाई समितियों के विधि–सम्मत प्रस्तावों की अनुपालना** सुनिश्चित करने हेतु विकास अधिकारी का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।

(6) **पंचायत समिति के वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों की सम्पूर्ण निगरानी** व पंचायत समिति के अभिलेखों का इस निमित्त पर्यवेक्षण करना। साथ ही इस बात पर विशेष ध्यान देना कि पंचायत समिति की निजी आय कैसे बढ़ाई जावे एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ाने के भी उपाय करना।

(7) **पंचायत समिति क्षेत्र में आपदा की स्थिति में:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू. 25000/– तक की सहायता, विकास अधिकारी की राय से स्वीकृत करने की शक्ति। आपदा राहत हेतु प्रदत्त स्वीकृति का अनुमोदन आगामी पंचायत समिति बैठक में, साधारण सभा से कराने हेतु दी गई मंजूरियों का ब्यौरा पेश करना होगा।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा–33 के अलावा; **पंचायती राज नियम, 1996 के, नियम–35 में भी, प्रधान के निम्न चार प्रकार के कर्त्तव्य** और वर्णित हैं:

(1) पर्यवेक्षण कृत्य

- ग्राम पंचायतों के कामों की निगरानी,
- नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि विशेषतः महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सरपंचों और पंचों को प्रशिक्षण देना व उनका मार्गदर्शन,
- सरपंचों व पंचायत समिति सदस्यों में समन्वय बिठाना,
- सरपंचों की आवश्यकतानुसार बैठकें बुलाना,
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु–एक नियंत्रण रजिस्टर रखाना,
- पंचायत समिति बैठकों और स्थाई समितियों के प्रस्तावों/निर्णयों/सुझावों की पालना–नियंत्रण रजिस्टर के ज़रिये सुनिश्चित करना,

- प्रतिवर्ष निर्वाचन और पुनर्गठन के तीन माह के भीतर स्थाई–समितियों का सुनियोजित गठन इस प्रकार सुनिश्चित करना कि हर पंचायत समिति सदस्य कम से कम एक स्थाई समिति में अवश्य शामिल हो।

- निर्माण कार्य–स्थलों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर वास्तविक व्यय दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना।

(2) संधारण/रख–रखाव संबंधी निगरानी कार्य

- पेयजल
- विद्युत
- सिंचाई
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- राजस्व भूमियाँ
- मानव रोग–निदान व जन–स्वास्थ्य
- पशु रोग–निदान व पशु स्वास्थ्य
- फसल रोग–निदान व कृषि स्वास्थ्य आदि से संबंधित जन–समस्याओं की पहचान एवं जन–अभाव अभियोगों का निराकरण कराना, संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय बिठाकर।

(3) विकास कृत्य

स्थानीय जनता की आवश्यकताओं की पहचान कर, विकास योजनाओं में जन–भागीदारी बढ़ाने हेतु स्थानीय जनता व स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना। स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों एवं पंचायत समिति स्तर के विकास प्रस्तावों को समेकित करते हुए, ब्लॉक की वार्षिक विकास कार्य योजना समयबद्ध रूप से तैयार कर, ज़िला परिषद् को ज़िले की वार्षिक कार्य योजना में शामिल कराने हेतु समय से प्रेषित करना।

(4) पंचायत समिति की निजी आय बढ़ाना

प्रधान अन्य सदस्यों की राय से, पंचायत समिति की निजी आय निम्न तरीकों से बढ़ा सकते हैं:

- शिक्षा उपकर संग्रहण हेतु अभियान चलाकर,
- पंचायत समिति–स्वामित्व वाली दुकानों की नीलामी/किराये से,
- पंचायत समिति स्वामित्व वाले कृषि फार्मों का विकास करके,
- हड्डी–ठेकों आदि में नीलामी से,
- पशु मेलों के आयोजन से,
- तालाब पेटों में खेती से आय,
- पंचायत समिति के अधीन तालाबों के सिंचाई प्रभारों के संग्रहण से,
- अनुपयोगी सामान की नीलामी से, आदि।

(5) अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कर्तव्य

- पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के तहत समय पर राशि हस्तांतरित करना।
- कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों व पूर्णता प्रमाण पत्रों को प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर–अन्दर समायोजित कराना।
- कनिष्ठ अभियन्ता–पंचायती राज नियमों के अनुसार, प्रत्येक निर्माण कार्य का निरीक्षण तीन बार करें व निरीक्षण पंजिका में टिप्पणी दर्ज़ करें, यह सुनिश्चित करना।
- स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करना।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–33 में प्रधान–पंचायत समिति, अध्यक्ष पद के वर्णित प्रमुख दायित्वों **एवं नियम, 1996 के नियम–35 में वर्णित उपरोक्त कर्त्तव्यों के अलावा, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की ही धारा–51 में द्वितीय अनुसूची अन्तर्गत पंचायत समितियों के कृत्य एवं शक्तियां चिन्हित की गई हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष होने के नाते हर प्रधान का यह दायित्व है कि वह इस द्वितीय अनुसूची में वर्णित कृत्य और शक्तियों के अनुसरण में अपनी भूमिका का निर्वहन करे; विशेषतः निम्न मुख्य कार्य बिन्दुओं पर ज़ोर दें:**

पंचायत समितियों के कार्य और शक्तियाँ
(द्वितीय अनुसूची, धारा–51)

1. साधारण कार्य

(i) **अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या ज़िला परिषद् द्वारा समनुदेशित स्कीमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएँ तैयार करना और उन्हें ज़िला योजना के साथ एकीकृत करने के लिए विहित समय के भीतर ज़िला परिषद् को प्रस्तुत करना**–अपनी पंचायत समिति क्षेत्र की वार्षिक योजना, सम्पूर्ण क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त, ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं को भी समाहित करते हुए, अपनी ज़िला परिषद् को समयबद्ध रूप से प्रेषित करें, ताकि उसका समावेश 'ज़िला योजना' में किया जा सके।

(ii) **पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना**–पंचायत समिति का वार्षिक बजट–पंचायत समिति के वार्षिक संस्थापन व्यय, पंचायत समिति की विकास योजनाओं एवं विशिष्ट परियोजनाओं हेतु वांछित राशि, पंचायत समिति को केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग से देय अनुदान राशि, ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं की पूर्ति हेतु समेकित बजट प्रस्ताव आदि को समाहित करते हुए बनाया जावे।

(iii) **ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उसे सरकार या ज़िला परिषद् द्वारा सौंपे जायें**—समय—समय पर राज्य सरकार एवं ज़िला परिषद् द्वारा जारी राज्यादेश, परिपत्र, अभियान संबंधी दायित्व, विशिष्ट परियोजनाओं आदि के संचालन दायित्व एवं हस्तान्तरित शक्तियों के अनुसरण में अपना कार्य निष्पादन करें।

(iv) **प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध कराना**—प्रधान, पंचायत समिति द्वारा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, एक वित्तीय वर्ष में, रू. 25000/— की सीमा में सहायता स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते की इसका अनुमोदन आगामी साधारण सभा में करा लिया जावे।

2. कृषि विकास एवं विस्तार

कृषि और बागवानी के विकास हेतु, अपने क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी विभाग, वन विभाग, बीज निगम, कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान आदि संस्थाओं की मदद लेते हुए पंचायत समिति क्षेत्र में, कृषि विकास, बागवानी विकास, कृषक प्रशिक्षण और कृषि विस्तार शिक्षा को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है।

3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और स्कीमों, विशेषतः एस.जी.एस.वाई.—स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना, महानरेगा—राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोज़गार प्रशिक्षण, मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास, अनुसूचित जाति विकास निगम की स्कीमों आदि की आयोजना और क्रियान्वयन करना। गरीबी उन्मूलन पंचायती राज संस्थाओं के ज़िम्मे एक मुख्य संवैधानिक दायित्व है, चूंकि संविधान की धारा—243 (जी) में वर्णित दोहरी भूमिका—अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना तभी सम्भव है, जबकि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों, परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें।

अतः पंचायत समिति में गरीबी उन्मूलन संबंधी क्या—क्या योजनाएँ व कार्यक्रम, विभिन्न विभागों के तत्वावधान में चल रहे हैं ? अपने क्षेत्र के पंचायतवार चिन्हित गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को

प्राथमिकता के आधार पर, वर्षवार इन योजनाओं में लाभान्वित करावें व साथ ही यह भी निगरानी रखें कि उनके जीवन स्तर में, दिये जा रहे योजना लाभों से सुधार हो रहा है की नहीं।

4. पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन

चूंकि ग्रामीण अंचल में कृषि के बाद पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन आदि ही आजीविका के सहयोगी साधन हैं, अतः इनके समुचित विकास हेतु संबंधित विभागों से तकनीकी सम्बल लेते हुए इन्हें उन्नत बनायें। अपने क्षेत्र में इन सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर निगरानी रखें कि वे उन्हें सुपुर्द दायित्वों का भली प्रकार जनहित में निष्पादन कर रहे हैं। पशुओं और फसलों से संबंधित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के भी समयबद्ध उपाय करें।

5. पेयजल

(i) हैंड पम्पों और पंचायतों की पम्प और जलाशय स्कीमों को मोनीटर करना, उनकी मरम्मत और रखरखाव;

(ii) ग्रामीण जल प्रदाय स्कीमों का रख–रखाव;

(iii) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण;

(iv) ग्रामीण स्वच्छता स्कीमों का कार्यान्वयन;

उपरोक्त चारों संवेदनशील मुद्दों पर तत्पर कार्रवाई हेतु जन–स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से तालमेल कायम कर, स्थानीय हैण्डपम्प मिस्त्री के माध्यम से, हैण्डपम्पों का उचित संधारण सुनिश्चित किया जावे और ग्रामीण स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार हेतु ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' कार्यक्रम के तहत पंचायत–वार प्रस्ताव तैयार कर, आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सम्बल जुटाया जावे। 'निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना' अन्तर्गत अपनी पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को शामिल कराने के प्रेरक बनें व सार्थक प्रयास करें।

6. प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रमों की निगरानी

(i) साक्षर भारत मिशन संबंधी दायित्वों को सम्मिलित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा, विशेषतः बालिका शिक्षा, का प्रभावी संचालन

(ii) प्रारंभिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवासों का निर्माण, मरम्मत और रख–रखाव

(iii) युवा क्लबों और महिला मण्डलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा व साक्षरता को बढ़ावा तथा महिला सशक्तिकरण हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण

(iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब विद्यार्थियों एवं बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकों, छात्रवृत्तियों, पोशाकों एवं अन्य प्रोत्साहनों का वितरण

v मिड–डे–मील योजना का गुणवत्तापूर्ण व नियमित संचालन सुनिश्चित करना

पंचायत समिति क्षेत्र में संचालित प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम को अधिकाधिक बढ़ावा दें। यह भी सुनिश्चित करें कि इनमें बालिका शिक्षा एवं महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस हेतु पंचायतों एवं पंचायत समिति स्तर पर गठित शिक्षा समिति के सदस्यों को पाबंद करें कि वे नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता, उपलब्धता एवं संबंधित वर्ग तक पहुंच सुनिश्चित करें। इस कार्य में युवा क्लबों, महिला मण्डलों एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी लिया जा सकता है। साथ ही विद्यालय भवनों के रख–रखाव पर भी समुचित ध्यान दिया जावे। अभिभावक–शिक्षक समितियों को भी शैक्षणिक गुणवत्ता निगरानी हेतु सक्रिय बनाया जा सकता है। **इस बात पर विशेष निगरानी रखी जावे कि मात्र शाला नामांकन सुनिश्चित करना ही सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय नहीं है, बल्कि नामांकन कर लिये गये बच्चों का शाला में ठहराव सुनिश्चित करना एवं यह देखना कि उन्हें कक्षा एक से आठवीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तथा ड्रॉप–आउट रेट खत्म की जा सके।**

7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

i स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (एन.आर.एच.एम.– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दायरे में)

ii प्रतिरक्षण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मॉनीटर करना

iii मेलों और उत्सवों पर स्वास्थ्य और स्वच्छता की चेतना प्रसार व निगरानी

iv औषधालयों (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप–केन्द्रों आदि का निरीक्षण और नियंत्रण

ग्रामीणजन की खुशहाली का पहला सूत्र है, अच्छा स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। इस हेतु चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे–प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार–कल्याण कार्यक्रम, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रजनन एवं बाल–स्वास्थ्य कार्यक्रम, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि का भरपूर सहयोग लेते हुए, ग्रामीण अंचल में जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु कायम–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आयुर्वेदिक औषधालयों, स्वास्थ्य उप–केन्द्रों, होम्योपैथी एवं यूनानी दवाखानों आदि का समय–समय पर निरीक्षण कर, जनता को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करें।

यह भी ध्यान रखें कि अब प्रधान ही ब्लॉक स्तर पर गठित, ब्लॉक स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मंशा है कि ब्लॉक स्वास्थ्य मिशन द्वारा वार्षिक आधार पर अपने क्षेत्र की ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजनाएँ, पंचायतों द्वारा तैयार कराई जावें एवं उन्हें ब्लॉक स्वास्थ्य मिशन के स्तर पर समेकित एवं पारित कर, ज़िला स्वास्थ्य मिशन को समय से भेजकर, राज्य एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से वित्तीय सहायता जुटाकर, जनता को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मिले, यह सुनिश्चित करें।

8. महिला और बाल विकास

i महिला और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

ii एकीकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

iii महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोन्नत करना

iv आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह बनाना और समूहों द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार सामग्री के उत्पादन तथा विपणन में सहायता करना।

महिला और बाल विकास विभाग के समेकित बाल विकास सेवाएँ(आई.सी.डी.एस) कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली समस्त सेवाओं जैसे– 0–6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए पूरक पोषाहार, टीकाकरण सुविधा, बच्चे की बढ़त का मापन एवं गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जाँच, स्कूल–पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं रैफरल सेवाएँ तथा महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं व किशोर बालिकाओं के समूह बनाकर, उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में विकसित करना आदि का सुचारू क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, यह भी नियमित निरीक्षण से निगरानी रखें, चूंकि इस विभाग के दायित्व पंचायती राज संस्थाओं के सुपुर्द किये जा चुके हैं।

9. सांख्यिकी

ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण और संकलन जो पंचायत समिति, ज़िला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पायी जावे। पंचायत समिति स्तर पर समस्त ग्राम पंचायतों से समेकित मानव विकास सूचकों पर, वार्षिक आधार पर सांख्यिकी संधारित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पंचायत समिति क्षेत्र में आदिनांक विकसित सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का भी वार्षिक आधार पर, पंचायतवार आकलन कर, पंचायत समिति विकास–स्थिति संबंधी सांख्यिकी भी संधारित की जावे। जिला आयोजना कार्य, किसी भी विशिष्ट परियोजना निर्माण एवं पचांयत समिति के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हेतु भी, इस प्रकार की वार्षिक रूप से अद्यतन कर संधारित–मानव–विकास एवं संसाधन–विकास सांख्यिकी–बहुउपयोगी सिद्ध होगी।

10. आपात सहायता

अग्नि, बाढ़, महामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले में–प्रधानगण एक वित्तीय वर्ष में, 25000/– रूपये तक की राशि तत्काल सहायतार्थ स्वीकृत कर सकते हैं। इसका अनुमोदन आगामी साधारण सभा से कराना भी नियमानुसार अपेक्षित है।

11. पंचायतों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन

पंचायत समिति सही मायने में ग्राम पंचायतों हेतु मार्गदर्शक एवं पर्यवेक्षक संस्था के तौर पर ही गठित संवैधानिक संस्था है। अतः इस दायित्व को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित करना–हर प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य का सर्वोच्च दायित्व है। इस हेतु समय–समय पर अधीनस्थ पंचायतों व उनके क्रियाकलापों का निरीक्षण व परीक्षण करें। अपनी पंचायत की वार्षिक योजना को जन–आवश्यकता अनुरूप बनाने में पंचायतों को उचित मार्गदर्शन भी दें। केन्द्र व राज्य सरकार की नवीनतम नीतियों, कार्यक्रमों व दिशा–निर्देशों से पंचायतों को अवगत कराते रहें। उन्हें प्रेरक नेतृत्व व सम्बल प्रदान करें।

प्रधान क्या न करें ?

1. अपने पद के दायित्वों का निवर्हन करते हुए पद का उपयोग–स्वयं के लाभ के लिए कदापि ने करें।
2. ग्रामीण विकास कार्यों तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं में भ्रष्टाचार को न पनपने देवें।
3. लेखा संबंधी दस्तावेज बिना सोचे–समझे, अनजाने में या दबाव में हस्ताक्षर न करें।
4. कोरम पूरा न होने पर बैठक न करें तथा बैठक स्थगित कर दें।
5. ग्रामीण विकास की योजनाओं की मार्गदर्शिका के उल्लंघन को कभी भी नियमित न करें।
6. ग्रामीण विकास के कार्यों में, ग्रामीण कार्य निर्देशिका का उल्लंघन न करें।
7. एक वर्ष में आपदा के समय निर्धारित सहायता राशि की सीमा रूपये 25,000/– से ज़्यादा की स्वीकृति किसी भी हालत में न करें।
8. गाड़ी की लॉग बुक एवं पंचायत समिति कैश बुक की एन्ट्री पिछली तारीख में न करें।

राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति सदस्यों के दायित्व एवं कृत्य

पंचायत समिति सदस्य सीधे चुनाव से निर्वाचित होते हैं। इनके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–13 (2) द्वारा नियत होता है।

पंचायत समिति सदस्य लगभग 3–5 ग्राम पंचायत क्षेत्र से चुने जाते हैं। धारा–13 (2) के अनुसार, एक लाख तक की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में 15 ऐसे सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली पंचायत समिति में, प्रत्येक 15000 या उसके भाग पर 2 निर्वाचन क्षेत्रों की बढ़ोतरी होती है।

जनता के मत से चुने गये पंचायत समिति सदस्य, अपने बहुमत से अपनी पंचायत समिति का अध्यक्ष चुनते हैं–जो प्रधान कहलाते हैं।

पंचायत समिति सदस्यों के दायित्व

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम संख्या–37 के अनुसार पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद् सदस्यों की भूमिका मुख्यतः तीन सूत्री हैः

1. पचांयत समिति सदस्य उन ग्राम पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, जिनमें वह साधारणतया निवास करते हैं।

2. पंचायत समिति सदस्य, जिस ग्राम पंचायत के निवासी हैं, उसकी ग्राम सभा द्वारा उनका नाम सतर्कता समिति में निर्देशित किया जा सकेगा।

3. पंचायत समिति सदस्य–पंचायत समिति के व स्थाई समिति के सदस्य के रूप में प्रदत्त कार्यों को सम्पन्न करेंगे।

उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त, पंचायत समिति में प्रधान तथा उप–प्रधान के पद रिक्त होने अथवा अनुपस्थित रहने की स्थिति में, प्रधान की शक्तियाँ, कृत्य व कर्त्तव्य–पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, निर्वहन किये जावेंगे। (अधिनियम की धारा–34–(2) के अनुसार ।

पंचायत समिति सदस्य क्या न करें ?

- प्रधान/उप–प्रधान के चुनाव में जातिवाद, भाई–भतीजावाद, साम्प्रदायिकता एवं भ्रष्टाचार न पनपने दें।
- अपने क्षेत्र में ऐसे ग़ैर कानूनी व गलत काम न होने दें जो विकास प्रक्रिया में बाधक हों।
- अपने निर्वाचन क्षेत्र की पंचायतों, पंचायत समिति व स्थाई समितियों में, जनहित के विरूद्ध निर्णयों में पक्षधर न बनें।
- पंचायत समिति की बैठकों में बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित न रहें।
- जनप्रतिनिधि होने के नाते जनहित में कार्य करें, निजी लाभ के लिए नहीं।
- अपने निर्वाचन क्षेत्र की पंचायतों के पंचों और सरपंचों को (विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा महिला जनप्रतिनिधियों) को किसी भी प्रकार के अन्याय एवं शोषण का शिकार न होने दें।
- पंचायत समिति सदस्य जिस भी स्थाई समिति के सदस्य हैं, उसकी बैठकों में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित न हों, अन्यथा पाँच बैठकों में लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर, स्थाई समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है।
- पंचायत समिति सदस्य जिस भी स्थाई समिति के अध्यक्ष हों, उनकी बैठकों में बिना प्रधान को सूचना दिये, अनुपस्थित न हों।
- सभी स्थाई समितियों की नियमित त्रैमासिक बैठकें नियमानुसार वांछित हैं–इस दायित्व के प्रति उदासीन न रहें।
- अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनैतिक काम व भ्रष्टाचार न पनपने दें।
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दो वर्ष पश्चात्, प्रधान का कार्य असंतोषप्रद होने पर, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार सदस्यगण को है। परन्तु इस अधिकार का दुरूपयोग प्रधान पर अनुचित दबाव डालकर, गलत कार्य करवाने या अनावश्यक विरोध जताने हेतु न करें।

मिलेनियम डवलपमेंट गोल्सः 2000–2015 तक
(सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य–2015 तक प्राप्ति की समय रेखा)

विश्व स्तर का लक्ष्य	विश्व स्तर का लक्ष्य
लक्ष्य–1 **अत्यधिक गरीबी और भूखमरी का उन्मूलनः** ऐसे लोग जो अत्यधिक गरीबी और भूखमरी से त्रस्त हैं, का अनुपात आधा करना (मौजूदा स्तर से 2015 तक)	**लक्ष्य–5** **मातृ–मृत्यु दर व मातृ–स्वास्थ्य में सुधार लानाः** गर्भवती माताओं की प्रसव–संबंधी मौतों को तीन चौथाई तक घटाना
लक्ष्य–2 **प्रारंभिक शिक्षा की पहुँच सब तक सुनिश्चित करनाः** सभी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा का हक पा सकें, यह आश्वस्त करना	**लक्ष्य–6** **एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों की रोकथामः** एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों की प्रभावी रोकथाम हेतु हर संभव कदम उठाना
लक्ष्य–3 **जैण्डर समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देनाः** लड़कियों को लड़कों के समान ही शिक्षा के अवसर–स्कूली शिक्षा में जैण्डर समता	**लक्ष्य–7** **पर्यावरण का विनाश रोकनाः** दुनिया के पर्यावरण को विनाश से बचाने के बेहतर उपाय करना (जल संरक्षण करें व हरित प्रदेश/देश बनाएं)
लक्ष्य–4 **बाल–मृत्यु दर कम करनाः** पाँच वर्ष के पूर्व अकाल मृत्यु का ग्रास बनने वाले बच्चों की संख्या को दो तिहाई तक कम करना	**लक्ष्य–8** **विकास हेतु विश्व–स्तरीय गठबंधन विकसित करनाः** सरकारी, गैर–सरकारी, निजी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की साझेदारी, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय तौर पर सुनिश्चित करना

इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर

पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि सशक्तिकरण हेतु जनप्रतिनिधि स्वाध्याय लघु पुस्तिका श्रृंखला (2010–11)

1. राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में ज़िला परिषद् : ज़िला प्रमुख एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ

2. राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति : प्रधान एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ

3. राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत : सरपंच के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ

4. राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत : वार्डसभा, ग्राम सभा एवं वार्ड पंच के दायित्व, कृत्य व शक्तियाँ